

## अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1747 की जानकारी

श्री. वयस्य - श्री प्रेमशंकर कुंजीबाब शर्मा; स्थान दिनांक 16/2/24  
उत्तर दिनांक - 16/2/24

परिशिष्ट-1

1. मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना :- सामान्य/अपिव के हितग्राहियों को 3 प्रतिशत एवं अजा/अजजा के हितग्राहियों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान की छूट 7 वर्षों तक देय है साथ ही सभी वर्गों के लिये CGTMSE शुल्क देय होगा।
2. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम :- योजनान्तर्गत पात्रतानुसार 15 प्रतिशत से 35 प्रतिशत मार्जिनमनी सहायता अनुदान की सहायता देय होगी।
3. म.प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 :- विनिर्माण इकाईयों हेतु कुल मान्य पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत (अधिकतम 48 प्रतिशत पात्रतानुसार) अनुदान राशि 4 वार्षिक समान किस्तों में देय होगा।
4. पीएमएफएमई :- योजनान्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों हेतु 35 प्रतिशत अधिकतम 10.00 लाख रूपये मार्जिन मनी सहायता राशि प्रदान की जाती है।

*Jain*  
(राजीव जैन)  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
नवप्रदेश सामान  
सूखे लघु और मध्यम उद्यम विभाग

*[Signature]*  
(कैलाश माल)  
महाप्रबंधक  
जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र,  
नर्मदापुरम (म.प्र.)

*[Signature]*